क्रम–संख्या–261

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 नवम्बर, 2014

अग्रहायण 5, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1531/79–वि–1–14–1(क)23-2014

लखनऊ, 26 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 की धारा 2 का संशोधन

2- डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ट) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से है।"

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ)" के स्थान पर शब्द "डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"3-क—डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवृत्त होने के प्रभाव से, इस अधिनियम अथवा किसी नियमावली, परिनियम, अध्यादेशों, कानूनी लिखतों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) अथवा उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) के लिए किया गया कोई भी संदर्भ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए किया गया संदर्भ समझा जायेगा।"

निरसन और अपवाद

5-(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009) का अधिनियमन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विकलांगजन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय का विद्यमान नाम उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) था जिससे जनसामान्य में यह संदेश प्रसारित हो रहा था कि उक्त विश्वविद्यालय मात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए ही स्थापित किया गया है जबकि विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटें विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं तथा 50 प्रतिशत सीट सामान्य बच्चों के लिए आवंटित हैं। उक्त विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी अपने तरीके का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि विकलांगता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रमों को सम्पादित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय से केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी निवासरत विकलांग छात्र-छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा की जा रही माँग के दृष्टिगत उक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा अपनी

तेरहवीं बैठक में विश्वविद्यालय के विद्यमान नाम को डा0 शकुन्तला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के रूप में परिवर्तित किये जाने का संकल्प पारित किया गया था। उक्त कार्य परिषद के संकल्प पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त विश्वविद्यालय के विद्यमान नाम को परिवर्तित कर डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ कर दिया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1531(2)/LXXIX-V-1-14-1(ka)23-2014
Dated Lucknow, November 26, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dr. Shakuntala Misra Punarvas Vishwavidyalya (Bhinnarupen Yogya Hetu) Uttar Pradesh (Sansodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on Novemer 24, 2014 :

DR. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY (FOR DIFFERENTLY ABLED) UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. Act no 18 of 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Dr. Shakuntala Misra Rahabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 30, 2014.

Amendment of section 2 of U.F Act no. 1 of 2009

2. In section 2 of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009 hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause *(l)* the following clause shall be *substituted,* namely :—

"*(l)* 'University' means Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow established under section 3."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "the Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow)" the words "Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow" shall be *substituted.*

Amendment of section 3A

4. In section 3A of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely :—

"3-A–With effect from the commencement of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2014 any reference to Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (for Differently Abled) or the Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow) in this Act, or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as reference to the Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow."

Repeal and saving

5. (1) Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 11 of 2014

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 1 of 2009) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a University for persons with different abilities at Lucknow in Uttar Pradesh. The existing name of the University established under the said Act was the Uttar Pradesh Vikalang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow) which in general public reflects that the said University has been established only for handicapped students when out of the total seats available in the University. 50 per cent seats are reserved for handicapped students and 50 per cent seats are allocated to normal students. The said University has been established with the object of carrying out higher education, research and other programs in the field of handicappedness and it is the only University of its kind not only in India but also in Asia. The handicapped students residing not only in India but also residing in foreign countries are being benefitted by the said University. The Executive Council of the said University on the demand of various organizations and persons passed a resolution in its thirteenth meeting to change the existing name of the University as Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow. After due consideration of the resolution of the said Executive Council it was decided to amend the said Act to change the existing name of the said University as Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Diffenently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 11 of 2014) was promulgated by the Governor on September 30, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 693 राजपत्र (हि०)–2014–(1462)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 97 सा० विधा०–2014–(1463)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।